

2576

संख्या - 3935 /15-7-04-161 28 1/ 2004

प्रश्नक,

श्रीम प्रकाश गुप्त
श्रीम श्रीम
उत्तर प्रदेश शासन ।

No.O.C.

सेवा में,

राज्य
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
विभाग-2 नयापल्लो,
प्रति शिक्षा, नई दिल्ली ।

श्री 0/10/10
25-9-04

शिक्षा 171 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 02 सितम्बर, 2004

विषय :-

शुद्धा द स्कूल वायुद, बर्लियात पौड, रायभर, बर्लियाबाद के सी0सी0रा000 नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की और आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये सही यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय जो **सी0सी0रा000** नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 11 विद्यालय की प्रजीकृत सौसायटी का सभ्य-सभ्य पर नवीनीकरण कराया जायेगा 9
- 12 विद्यालय की प्रबंध समिति में जाक्षा निर्देशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 13 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के भेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उ0प्र0मा0शिक्षा परिषद/केन्द्रीय शिक्षा परिषद द्वारा संवाहित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 14 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा केन्द्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्वायलेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ज से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0मा0शिक्षा परिषद से प्राप्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।



(Handwritten signature)

---2---

(Handwritten signature)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
प्रथम मंडल, मेरठ ।

- 151 संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से वा. वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा-निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के मूल्यांकन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2- विद्यालय के प्रयोक्तृओं की वर भी यदि सुविधा पर चार मं. के अन्दर मानकनुसार विद्यमान भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की छूट या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

श्री श्री प्रकाश शर्मा
संयुक्त सचिव

पू०सं०सं० दिनांक तद्वै

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, **मुरा** ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, **मुरा** ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, **प्रकाश शर्मा वापस कार्यवाही पूर्व, रायबरेल, मुरा** ।
- 6- गार्ड बुक ।



संयुक्त जिला निदेशक,
प्रथम मण्डल, मुरा ।

आज्ञा के

श्री श्री प्रकाश शर्मा
संयुक्त सचिव